न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी रामनिवास जाट आर.ए.एस
अपील संख्या 17/2018 एल आर एक्ट
अनवान जग्गासिह बनाम रूड़सिह वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
03–09–2019	पत्रावली दोनो प्राथमिक कानूनी आपत्ति के प्रार्थना पत्र आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील अपीलान्ट जग्गासिह पुत्र नवाबसिह जाति सिखलिगर निवासी तलवाडाझील तहसील टी बी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री राजेश बैद एडवोकेट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19.2.18 को पेश की गई है। अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी टी बी के निर्णय दिनांक 18.12.2017 के विरूद्व पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट रूडसिह पुत्र सिकतर सिह जाति जट सिख निवासी तलवाडा झील तहसील टी बी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टी बी मे अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 644 दिनांक 20.3.2017 को निरस्त करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मियाद बाहर होने सीपीसी की धारा 96 के तहत अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से सम्बन्धित दरख्वास्त मे सही तथ्य पेश न करने तथा अपील के साथ दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो की प्रमाणित प्रतिया पेश न करने पर आपत्ति पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने आगे कथन किया कि अपील पेश करने के लिए निधारित समय अवधी 60 दिन व्यतीत हो जाने के बाद विलम्बके लिये प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, परन्तु दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नही है। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब माफ के लिये अलग से दरख्वास्त पेश नही की गई है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने जवाब मे बहस कर कंहा कि अधीनस्थ न्यायालय की ओडर शीट का उलेख करते हुवे कंहा कि निर्धारित तिथी से पूर्व की तिथी मे निर्णय सुना दिये जाने तथा आगामी दो दिनों तक अवकाश होने के कारण अपील पेश करने मे हुआ चार दिन का विलम्ब स्वाभाविक है। हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस, सम्पूर्ण मामले, उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया। अपीलान्ट द्वारा सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रस्तुत दरख्वास्त में विवादित भूमि को इकरानामा द्वारा क्रय किये जाने के उपरांत प्रथम अपील न्यायालय द्वारा उसे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण .....लगातार.....	

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तथा सदभावी क्रेता होने के कारण आवश्यक व प्रभावित पक्षकार होने का तर्क दिया है। विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार गुरमीतसिह द्वारा दिनांक 29.11.2017 को रूडसिह के पक्ष में इकरारनामा लिखकर दिया गया तो दिनांक 28.4.2017 को अपीलान्ट के पक्ष में अपजीकृत इकरारनामा लिखकर दिया गया है। उक्त अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कथित क्रेता के पक्ष में किसी प्रकार की कानूनी अधिकार का सृजन नही हो सकता। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट किसी भी सूरत मे प्रभावित पक्षकार नही है। फिर प्रारभिंक स्टेंज पर उक्त बिन्दु को मेरिट पर सुनने के लिये साबित किया जा चुका है।

अधीनस्थ को आदेश की प्रति भेजी
207-208
12-9-19

अपीलान्ट द्वारा सर्वप्रथम निर्धारित मियाद 60 दिन का इंतजार किया गया तथा बाद में चार दिन विलम्ब से अपील पेश की जो आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के अभाव मे अधूरी पेश की। जाहिर है कि अपीलान्ट ने केवल अपंजीकृत इकरारनामा की आड़ मे मियाद व आवश्यक दस्तावेजो के अभाव मे तकरीबन अंदाज मे अपील पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर व डिफेक्टिव एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर